न्यायालय :–　　　　　उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

पीठासीन अधिकारी – श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

<u>राज0वि0प्र0 संख्या :– 01/2018</u>

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
मोहनलाल पुत्र मालाराम कौम घांची, निवासी हरियाली, तह0 सांचौर, जिला जालौर।		1. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर 2. छगनलाल पुत्र मालाराम कौम घांची, निवासी हरियाली तह0 सांचौर जिला जालौर।

प्रार्थना पत्र बाबत् बंटवाड़ा माफिक तरमीम शुद्धि करने।

उपस्थित :–

1– श्री सगताराम चौधरी वकील प्रार्थी की ओर से।

2– सरकार जरिये तहसीलदार –सांचौर।

3– अप्रार्थी संख्या 2 बाद तामिल अनुपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 07.03.2018

1– इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मोहनलाल ने प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड दुरूस्ति का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 दोनो सगे भाई है तथा प्रार्थी, अप्रार्थी छगनलाल एवं अन्य के संयुक्त खातेदारी के खेत सरहद मौजा हरियाली में मूल खसरा नम्बर 1680 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 1680/2053 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर1679 रकबा 0.01 हैक्टर, व अन्य खातेदारी की कुल आराजी 11.17 हैक्टर की भूमि संयुक्त खातेदारी की आई हुई थी जिसका बंटवाड़ा प्रार्थी, अप्रार्थी छगनलाल व अन्य सहखातेदारान ने मिलकर आपसी रजाबन्दी से मौके पर काबिज अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर नक्शे में रंग भरकर माफिक मौके पर काबिज अनुसार तहसीलदारजी सांचौर के समक्ष बंटवाडा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया जो तहसीलदार सांचौर द्वारा बंटवाडा स्वीकृत कर जरिये आदेश कमांक/सम/03/दिनांक 11.01.2012 के हल्का

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर जिला जालोर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

पटवारी को माफिक बंटवाड़ा के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ति का आदेश दिया गया। बंटवाड़ा माफिक आपसी सहमति व रजामंदी के प्रार्थी के बंट में खेत खसरा नम्बर 1679 रकबा 0.01 हैक्टर गै0मु0ढाणी, खसरा नम्बर 1680/2053 रकबा 0.01 हैक्टर गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 1680 मे से रकबा 1.23 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1681 मे से रकबा 0.10 हैक्टर कुल रकबा 1. 35 हैक्टर प्रार्थी के बंट में रखे गये तथा अप्रार्थी छगनलाल के बंट में खसरा नम्बर 1670 मे से रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1677 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 1678 रकबा 0.03 हैक्टर गै0मु0ढाणी, खसरा नम्बर 1680 मे से 0.26 हैक्टर कुल रकबा 1.35 हैक्टर भूमि रखी गई जो बंटवाड़ा से स्पष्ट है इसी माफिक नामान्तरकरण का आदेश दिया गया। बंटवाडा माफिक खसरा नम्बर 1680 रकबा 1.52 हैक्टर मे से प्रार्थी के बंट में 1.23 हैक्टर भूमि रखी गई जो नक्शे में वर्णित पीले रंग की भूमि प्रार्थी के बंट की है जो प्रार्थी के बंट में रखे गये बेरा खसरा नम्बर 1680/2053 से करीब 30 मीटर दुर उतरी तरफ प्रार्थी के बंट की माठ आती है जो नक्शे में वर्णित पीले रंग से स्पष्ट है तथा अप्रार्थी के बंट में खसरा नम्बर मूल 1680 मे से नवसर्जित खसरा नम्बर 2332/1680 रकबा 0.26 हैक्टर भूमि रखी गई जो नक्शे में वर्णित गहरे नीले रंग में दर्शित है अप्रार्थी के नवसर्जित खसरे 2332/1680 की माठ नीले रंग अनुसार बेरा के खसरा नम्बर 1680/2053 से करीब 30 मीटर दुर उतर की तरफ रहती है तथा खसरा नम्बर 1669 (ढाणी) से मात्र 4 मीटर ही दक्षिणी तरफ है जो नक्शे में वर्णित नीले गहरे रंग से स्पष्ट है। कि चुंकि प्रार्थी के बंट को पीले रंग में वर्णित अनुसार व अप्रार्थी संख्या 2 के बंट को गहरे नीले रंग में वर्णित अनुसार ही राजस्व रेकर्ड के नक्शे मे तरमीम की जानी थी लेकिन राजस्व कर्मचारीयो व अधिकारीयों ने मौके पर स्थित कब्जा कास्त व रंगो द्वारा किये गये बंटवाड़े अनुसार तरमीम न कर अप्रार्थी के बंट को खसरा नम्बर 1680/2053 (बेरे) तक तरमीम कर दी गई जो बंटवाडे में वर्णित पीले रंग अनुसार न होकर बंटवाडे के विपरित गलत तरमीम की गई है जो एक भूल है जिसको सुधारकर नक्शे में वर्णित किये गये रंगो माफिक तरमीम किया जाना न्याय संगत है जो एक लिपिकीय त्रुटि होकर मानवीय भूल है। ऐसी सुरत में उक्त लिपीकीय त्रुटि संशोधित की जावें।

2– प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने शुद्धि किये जाने बाबत् सहमति जताई तथा

उपखण्ड अधिकारी-सांचौर जिला जालोर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

बंटवाड़े माफिक तरमीम शुद्ध करने हेतु आपत्ती नही होना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3– पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। तहसीलदार सांचोर ने भी प्रार्थना पत्र से सहमति व्यक्त करते हुए पक्षकारान द्वारा किए गए बंटवारा जो कि पृथक पृथक रंगों से दर्शाया हुआ है, उसी अनुसार तरमीम की जाकर शुद्वी करने हेतु निवेदन किया है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम शुद्धि का स्वीकार कर तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के बंट के खेत स्वीकृत बंटवाड़ा के साथ प्रस्तुत किये गये रंगो सहित नक्शे अनुसार ग्राम हरीयाली के मूल खसरा नम्बर 1680 मे तरमीम की शुद्धि करने के आदेश दिए जाते है। बंटवारा के साथ प्रस्तुत रंग भरे हुए नक्शे की प्रति के साथ तहसीलदार सांचोर को पालना हेतु लिखा जावे। उक्त नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

उपखण्ड अधिकारी–सांचौर जिला जालोर (राज0)

7-3-18
(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 7-3-18 को लिखा जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी–सांचौर जिला जालोर (राज0)

7-3-18
(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर